

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या-1126 /चि0-3-17-जी-72 /2016,  
लखनऊ : दिनांक : 12 जुलाई, 2017  
कार्यालय-ज्ञाप


उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (षष्ठम संशोधन) नियमावली, 2011 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत डा० राकेश सिंह चिकित्साधिकारी, (वरि०क्र०-10263क1,ले०-2) (वेतनमान रु 15,600-39,100, ग्रेड पे-6600) को उनके कनिष्ठ चिकित्साधिकारी, डा० मनोज कुमार (वरि०क्र०-10304क) की पदोन्नति की तिथि दिनांक 22.02.2017 से लेवल-3 परामर्शदाता, (वेतनमान रु 15,600-39,100, ग्रेड पे-7600) के पद पर प्रोन्नत किये जाने हेतु श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-  
2- डा० राकेश सिंह की लेवल-3 के पद पर समायोजन/तैनाती हेतु पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

वी०हेकाली झिमोमी  
सचिव।

संख्या-1126 (1)/चि-3-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र० लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र० लखनऊ।
5. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ०प्र० इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जौनपुर।
9. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तत्काल योगदान आख्या सम्बन्धित अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(जे० एल० यादव)  
अनु सचिव